नियम एवम् शर्तें :–

1. भरे हुए निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि का डी.डी. सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी (ईजीएस) के नाम जमा कराना होगा। अमानत राशि के बिना निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. क्र.सं. 1 के लिए अधिकृत डीलर ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगें। शेष जिन्सों की निविदा जिन सप्लायर्स के पास टिन नं0 है, उनके द्वारा ही भरी जा सकेगी।
3. क्र.सं. 1 से 22 तक के लिए निविदाऐं पृथक–पृथक भरी जावेगी एवम् प्रत्येक कार्य की निविदा प्रस्तुत करते समय लिफाफे पर कार्य का नाम मय ग्रुप कोड एवम् ग्राम पंचायतों का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जावेगा। सभी फर्मों को टिन नं0 का प्रमाण पत्र निविदा के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।
4. निविदाऐं खुलने के बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत की जावेगी।
5. ग्राम पंचायतवार ग्रुप की सूची निविदा प्रपत्र के साथ सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी (ईजीएस) कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।
6. निविदाओं में वर्णित सामग्री की सप्लाई निविदा प्रदाता द्वारा निर्माण कार्य की साईट पर की जाएगी तथा अप्रयुक्त सामग्री का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
7. सामग्री की अनुमानित लागत की मात्रा मे वर्ष भर में उपयोग की जाने वाली सामग्री के आधार पर कमीं/वृद्धि की जा सकती है।
8. कार्यादेश सम्बन्धित फर्म को दर संविदा हेतु लेखा नियमों के अनुरूप दिया जावेगा।
9. सभी सामग्री संलग्न विशिष्टयों के अनुसार आपूर्ति की जाएगी।
10. उपरोक्त **अनुमानित लागत प्रति ग्रुप** है। प्रत्येक ग्रुप हेतु अनुमानित राशि समान है।
11. विस्तृत विवरण सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी (ईजीएस) कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में देखा जा सकता है।
12. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। अन्य नियम व शर्तें कार्यालय समय में सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी (ईजीएस) के कार्यालय में देखी जा सकती है।
13. शेष शर्तें सामान्य वित्तीय एवम् लेखा नियमों के अनुसार रहेंगी।

कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति ....
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना
जिला - करौली

ग्राम पंचायत ग्रुप स्तर पर MGNREGA अन्तर्गत निर्माण सामग्री क्रय कार्य हेतु निविदा की शर्ते

1. **निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करनी चाहिये।**
2. निविदाऐं सील बंद लिफाफे में **निर्धारित प्रपत्र एवं अमानत राशि के डीडी जो सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी (ईजीएस) के नाम देय हो** सहित प्रस्तुत करनी होगी। **तकनीकी निविदा व वित्तीय निविदा पृथक–पृथक लिफाफों में रखकर एक लिफाफें में मोहरबंद कर जमा की जानी चाहिए। लिफाफे पर ग्राम पंचायत ग्रुप का कोड अवश्य लिखें जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है।**

   (अ) तकनीकी निविदा के साथ अमानत राशि का डी.डी./रसीद, अन्य सभी कागजात रखे जाने चाहिए। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। अमानत राशि नगद में प्राप्त नहीं की जावेगी।

   (ब) वित्तीय निविदा प्रपत्र में दरों को शब्दों/अंकों में लिखते हुऐ अलग लिफाफे में रखना चाहिए। इसके साथ कोई संलग्नक न लगाऐं।

   सभी प्राप्त निविदाओं की तकनीकी निविदा पहले खोली जाऐगी, जिसमें निर्देशों के अनुसार उनका मूल्यांकन किया जाऐगा। इसमें सफल पाये जाने वाले निविदा दाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जाऐगी। जिसका निर्णय निविदा नियमों के अनुसार किया जाएगा।
3. (अ) यह आवश्यक नहीं है, कि एक ही निविदादाता की समस्त दरें अनुमोदित की जावें। यह कार्यालय एक से अधिक निविदादाताओं की दरें भी अनुमोदित कर सकता है। **कार्यादेश आवश्यकतानुसार मात्रा का दिया जाऐगा।**

   (ब) निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जाएगा। पैन्सिल से भरी हुई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई शुद्धि या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई शुद्धियाँ करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

5. निविदायें उनके दर अनुमोदन की तिथी से 31.03.2011 तक के लिए मान्य होगी तत्पश्चात कार्य सन्तोषजनक होने पर अवधि परस्पर सहमति से बढ़ायी जा सकेगी।

6. सफल निविदादाता फर्म को अनुबंध अवधि के दौरान अनुबंध को उप ठेके पर देने या अन्य फर्म को हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं होगी। यदि फर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना क्रेता अधिकारी को देनी होगी।

7. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जावेगा की उसमें प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा स्पेशीफिकेशन, साईज, मैक एवं ड्राईग्स आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इस शर्तो के किसी भाग स्पेशीफिकेशन ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

8. **निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री की दरें या तो प्रति आईटम वाइज प्रस्तुत की जाऐं या बी.एस.आर. दरों से कम या ज्यादा (प्रतिशत में) प्रस्तुत की जानी चाहिए।**

9. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल की सप्लाई क्रेता की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निरस्त कर सकता है।

10. असफल निविदादाताओं को निविदा दरें निर्णित होने पर अमानत राशि यथाशीघ्र वापस लौटा दी जावेगी।

11. **सप्लायर को सामग्री का भुगतान कार्य की माप होने के पश्चात तकनीकी अधिकारी के द्वारा आंकलित की गई मात्रा के अनुसार ही होगा। सप्लाई ऑन साइट करनी होगी। सप्लायर चाहे तो सामग्री की सुरक्षा के लिए अपने स्तर पर व्यवस्था कर सकता है। इसके लिए उसे अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।**

12. परिदान अवधि में वृद्धि :— परिनिर्धारित नुकसानी के साथ परिदान अवधि में वृद्धि किए जाने के मामले में निविदादाता जिन सामानों का प्रदाय करने में असफल रहा है, उनकों मूल्यों के निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जावेगी।

क. विहित परिदान अवधि की एक चौथाई की अवधि तक के विलम्ब के लिए — 2.5 प्रतिशत

ख. विहित परिदान अवधि की एक चौथाई की अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनाधिक के लिए — 5 प्रतिशत

ग. विहित परिदान अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अधिक विलम्ब के लिए — 7.5 प्रतिशत

घ. विहित परिदान अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए — 10 प्रतिशत

13. सामग्री की जाँच स्थानीय अथवा अन्य किसी भी टेस्टिंग ऐजेन्सी से आवश्यकतानुसार कराई जा सकती है। जाँच में असफल पाए जाने पर भुगतान रोका जा सकता है ।

14. पोलीथीन सीमेन्ट बैग ही लिए जावेगें। बैग पर निम्न सूचना अंकित होना आवश्यक है :—

    1. निर्माता का नाम
    2. निर्माता का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अगर हो तो
    3. सीमेन्ट का प्रकार
    4. प्रत्येक बैग का वजन और बैग संख्या/टन
    5. निर्माण सप्ताह/माह/वर्ष

15. गुणवत्ता के लिए निर्माता की तरफ से सप्लाई करते समय सम्बन्धित मापदण्डों (नवीनतम जो भी लागू हो) के अनुरूप टेस्ट प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

16. सीमेन्ट आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता को मुख्य सीमेन्ट निर्माता से यह प्रमाण पंत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि सीमेन्ट सम्बन्धित आई.एस. मापदण्डों के अनुरूप है तथा बडे प्लान्ट की है, उसके साथ मूल बिल/चालान पूरी सीमेन्ट मात्रा के प्रत्येक लोट के कार्य के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। किसी भी हालत में मिनी प्लांट से सीमेन्ट क्रय नहीं किया जावे।

17. कार्यादेश प्राप्ति के 4 दिवस में सप्लाई करनी होगी, निर्धारित समय में आपूर्ति नहीं की गई तो कार्यादेश निरस्त कर प्रतिभूति निक्षेप राशि जब्त की जा सकेगी।

18. सर्विस कर/आयकर की कटौती नियमानुसार की जावेगी।

19. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र करौली न्यायालय होगा।

20. सफल निविदा दाता को आदेश प्राप्त होने के 7 दिवस की अवधि के भीतर 500/— रू0 मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए निविदा स्वीकार की गई है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। निविदा के समय जमा कराई गई अमानत राशि को प्रतिभूति राशि के लिए समायोजन किया जावेगा। प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

21. सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर क्रय समिति अपनी अभिशंषानुसार राशि में कटौती कर सकेगी।

22. पूर्व में किए गए राजकीय कार्यो के अनुभव सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न किये जाने चाहिए।

23. सामग्री सप्लाई का क्षेत्र सम्बन्धित ग्रुप की ग्राम पंचायतें होंगी। फर्म चाहे तो एक ही आईटम/ग्रुप के लिए निविदा दे सकती है, या एक से अधिक आईटम/ग्रुप के लिए भी

निविदा दे सकती है। परन्तु हरेक आइटम/ग्रुप के लिए अलग निविदा क्रय कर अमानत राशि जमा करानी पड़ेगी।

24. निविदाऐं पंजीकृत फर्मों/रजिस्टर्ड संवेदकों से ही प्राप्त की जाऐंगी। अर्थात वे सप्लाई करने हेतु रजिस्टर्ड व अधिकृत हों।
25. निविदा का अनुमोदन जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जाएगा।
26. सामग्री की अनुमानित लागत की मात्रा में वर्ष भर में उपयोग की जाने वाली सामग्री के आधार पर कमीं/वृद्धि की जा सकेगी।
27. विधि मान्यता :— निविदाऐं उनके खोले जाने की तारीख से 3 माह तक विधिमान्य होगी।
28. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए अस्वीकार करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित हैं।
29. निविदादाता की घोषणा मय हस्ताक्षर संलग्न है।
30. अन्य समस्त शर्ते GF & AR तथा PWF & AR के अध्याधीन होगी।

मैनें समस्त शर्तो को अच्छी तरह पढ़ लिया है। स्वीकार हैं।

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर **निविदादाता के हस्ताक्षर**